# न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 24/2023

हमीर भीमा बाई पुत्र श्री बार.आर. छैया जाति गुजराती, निवासी विवेकानन्द नगर, अंजार, कच्छ मालिक टेंकर जीजे 12 बीडब्ल्यू 7909 जरिये मुख्तयार नैनाराम पुत्र श्री भोमाराम निवासी पंछियो की ढाणी, गुडा मालानी, बाडमेर राजस्थान ............प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर ............अप्रार्थीगण

**उपस्थित** :–

श्री नीरज जैन — प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

श्री चरणजीत सिंह ओबेराय — अभिभाषक प्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955**

**आदेश**

दिनांक– 20.03.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि न्यायालय हाजा का रसद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2022 (सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022) राजस्थान सरकार अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर बनाम श्री विजय कुमार व अन्य अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 के विरूद्ध श्री हमीर भीमा बाई पुत्र श्री बी.आर. छैया जाति गुजराती, निवासी विवेकानन्द नगर, अंजार, कच्छ मालिक टैकर जीजी 12 बीडब्ल्यू 7909 जरिये मुख्तयार नैनाराम पुत्र श्री भोमाराम निवासी पंछियो की ढाणी, गुड मालानी, बाडमेर राजस्थान द्वारा माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश अजमेर में प्रस्तुत फौजदारी अपील सं. 184/2022, सी.आई.एस.सं. 185/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 में न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा रसद प्रार्थना पत्र संख्या 17/2021 (सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 12/2022 तथा 13/2022) राज0 सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी , अजमेर बनाम विजय कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 को सम्पुष्ट किया जाता है। यदि सबंधित प्रकरण में अपीलार्थी हमीर भीमा भाई पुत्र श्री बी.आर छैया निवासी विविकानन्द नगर, अंजार कच्छ गुजरात मालिक टैंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर जी.जे. 12 बी.डब्ल्यू 7909 के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम या अन्य जुर्म हेतु अभियोजन कार्यवाही संस्थित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलार्थी सबंधित जिला कलक्टर के समक्ष जब्तशुदा वाहन टैंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर जी.जे. 12 बी डब्ल्यू 7909 को उसे सुपुर्द करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वत्रंत रहेगा। यदि स्थिति विधमान रहती है एवं अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील में दिये गये दिशा निर्देश की पालना में अभ्यावेदन सबंधित जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत किया जाता है तो वे प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदन पर बाद सुनवाई उभय पक्ष विधिनुसार आदेश पारित करने हेतु स्वंत्रत रहेगी। उक्त आदेश की पालना में हमीर भीमा बाई द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी नेनाराम की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्रीमान के समक्ष वाहन जीजे–12–बी डब्ल्यू 7909 को सुपुर्दगी नामा पर छुडवाने का आवेदन प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2022 को वाहन को 23,59,375 रूपये (अक्षरे रूपये

जिला कलक्टर,
अजमेर

तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) शास्ति कर सुपुर्दगीनामा पर छोडने के आदेश दिए थे। उक्त राशि अत्यधिक थी व प्रार्थी वाहन स्वामी का अपराध में किसी प्रकार का लिप्त ना होने से उक्त आदेश की अपील श्रीमान् सेशन न्यायालय अजमेर में की गई। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 05.07.2022 को देते हुए उक्त प्रक्रम पर विद्वान न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि ना पाते हुए आरोपित प्रकरण में जांच लम्बित रहते व पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश ना करने तक अपील में कोई आदेश पारित ना करते हुए प्रार्थी की ओर से प्रार्थना स्वीकार की व पुलिस द्वारा बाद जांच चार्जशीट पेश होने व प्रार्थी के वाहन स्वामी के विरूद्ध कोई आरोप या अपराध चार्जशीट में आरोपित नहीं होता है तो पुनः आवेदन श्रीमान के समक्ष किया जा सकता है। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में चार्जशीट न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में पेश कर दी है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है जिसमें वाहन स्वामी को अभियुक्त नही बनाया है तथा वाहन के विरुद्ध भी कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रार्थी को उक्त चार्जशीट में गवाह संख्या 8 रखा गया है। माननीय सेशन न्यायालय अजमेर के आदेश दिनांक 05.07.2022 के परिपेक्ष के अनुसार चार्जशीट पेश होने पर यह आवेदन पुनः प्रस्तुत कर प्रार्थी वाहन मालिक का वाहन के द्वारा आरोप कारित करे का कोई आरोप नहीं है। पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में प्रार्थी वाहन मालिक को गवाह (साक्षी) रखा है। प्रार्थी को मुल्जिम नहीं माना है। प्रार्थी का वाहन उसकी आजीविका का एक मात्र साधन है। उक्त वाहन पूर्व में कभी भी किसी आरोप में जब्त नहीं हुआ। चार्जशीट पेश होने के बाद न्यायहित में प्रार्थी के वाहन को सुपुर्दगीनामा पर कम राशि के साथ छोडा जाना अति आवश्यक है। जब वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में लिप्त नहीं है तो उस पर शास्ति राशि जो तेईस लाख रूपये से अधिक आंकी गई है उस पर न्यायहित में पुनः विचार कर कम राशि पर वाहन सुपुर्दगीनामा पर छोडा जाकर अति आवश्यक है। प्रार्थी के वाहन के पुलिस के पास अनावश्यक रूप से पड़े रहने से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति उठानी पडेगी। अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर की ओर से श्री नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

पेरोकार सरकार ने निवेदन किया कि दिनांक 21.03.2022 को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ व्यवसाय एवं भण्डारण की प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के आदेशानुसार गठित जांच दल मय पुलिस जाप्ता थाना आदर्शनगर अजमेर अप्रार्थी संख्या 02 फर्म विजय एन्टरप्राईजेज, प्लाट संख्या एच–169 पालरा इण्डस्ट्रीयल एरिया–पालरा अजमेर पहूँच कर जांच कार्यवाही की गई। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 01 प्रोपराईटर विजय एन्टरप्राईजेज द्वारा जांच कार्य करवाया गया। वरवक्त जांच मौके पर एक टेंकर संख्या टेंकर GJ-12-BW-7909 में 40,000 लीटर (37750 kg) पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत बिल मुताबिक यह पदार्थ, कम्पोजिट सोल्वेन्ट (मिक्स सोल्वेन्ट) HSN Code -38140010, जो उनके द्वारा फर्म पारसनाथ आर्गेनिक्स प्रा0लि0 गांधीधाम कच्छ गुजरात से फर्म विजय एन्टरप्राईजेज के नाम से खरीद किया जाना गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सॉल्वेंट को टेंकर से ड्रमो में खाली करवाया जाकर प्लास्टिक की 1/2 लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर, 4.5 लीटर की बोतलों में इसकी पुनः पैकिंग की जाकर इन पैंकिंग बोतलों को तारपीन के तेल के नाम से रंग पेंट के दुकानदारों को विकय का व्यवसाय किया जाना पाया गया। वर वक्त जांच अप्रार्थी संख्या 1 के पास आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में कुल 1864.5 लीटर सॉल्वेन्ट पैंकिग शुदा बिकी के लिए तैयार पाया गया। विजय एन्टरप्राईजेज के गोदाम में टेंकर से सॉल्वेन्ट ड्रमों एवं प्लास्टिक टेंकर में खाली करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरों को प्रयुक्त करना पाया गया। वक्त जांच तीन

जिला कलक्टर
अजमेर

इलेक्ट्रिक मोटरें पाइप से जुडी हुई व ड्रमो से जुडी पाई गई। अप्रार्थी सख्या 2 फर्म क परिसर में एक पिक–अप RJ-41-GA-0314 बोलेरो वाहन खडी पाई गई। जिसका उपयोग सॉल्वेन्ट परिवहन में किया जाना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा सॉलवेन्ट पदार्थ की खरीद बिक्री, पैंकिग, व्यापार एवं व भण्डारण बिना वैध अनुज्ञा पत्र, अनुमति पत्र के किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट), मय टेंकर GJ-12-BW-7909, प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, एक पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314, बीस फीट लम्बे पाईप के जुडी हुई तीन इलेक्ट्रिक मोटरें, एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन, को कब्जे राज किया जाकर पुलिस थाना आदर्शनगर का सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 का यह कृत्य Solvent [Raffinate and slop (Acquisition, Sale, Storage, and Prevention of use in Automatiles) Order 2000, पेट्रोलियम नियम 2002 के क्लॉज 144 एवं अन्य क्लॉज का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये से 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) मय टेंकर GJ-12-BW-7909, प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, एक पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314, बीस फीट लम्बे पाईप के जुडी हुई तीन इलेक्ट्रिक मोटरें एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन का राजसात किये जाने के आदेश न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 25.05.2022 को दिये गये थे। अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय एवं भण्डारण की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार गठित जांच दल द्वारा मौके पर पहूँच कर जांच की गई। जांच में अप्रार्थीगण द्वारा बिना वैध दस्तावेज, लाईसेन्स, सक्षम अनुज्ञापन, अनुमति के सॉल्वेन्ट पदार्थ की अवैध खरीद, बिक्री एवं भण्डारण किया जाकर सॉल्वेन्ट के अवैध कारोबार में लिप्त होना प्रमाणित पाया गया। अप्रार्थीगण का यह कृत्य Solvent [Raffinate and slop (Acquisition, Sale, Storage, and Prevention of use in Automatiles) Order 2000, पेट्रोलियम नियम 2002 के क्लॉज 144 एवं अन्य क्लॉज का स्पष्ट उल्लघन पाये जाने पर ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 01 की फर्म से 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) मय टेंकर GJ-12-BW-7909, प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, एक पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314, बीस फीट लम्बे पाईप के जुडी हुई तीन इलेक्ट्रिक मोटरें, एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन आदि सामग्री की जब्ती कार्यवाही की गई है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नहीं किये गये हैं, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। जिला रसद अधिकारी द्वारा गठित जांच दल, पुलिस जाब्ता को वरवक्त जांच मौके पर सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जाना पाया गया है। फर्द मौका एवं जब्ती, नजरी नक्शा, सेम्पलिंग फर्द संख्या–1,2, बयान मौका, फर्द बयान, एवं मौके पर 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) मय टेंकर GJ-12-BW-7909, प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, एक पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314 तीन इलेक्ट्रिक मोटरें बीस फीट लम्बे पाईप के जुडावशुदा, एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन आदि सामग्री के पाये जाने से भी अप्रार्थीगण के सोल्वेन्ट (तारपीन) के अवैध भण्डारण एवं कारोबार की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार

जिला कलक्टर,
अजमेर

लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, तीन इलेक्ट्रिक मोटरें बीस फीट लम्बे पाईप के जुडावशुदा, एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन आदि सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। **इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है।** चूंकि वाहन टेंकर संख्या GJ-12-BW-7909 को 40000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/सोल्वेन्ट, सहित जप्त किया गया है। पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314 बोलेरो को उपयोग सोल्वेन्ट परिवहन में किया जाना पाया गया है। उक्त वाहनों का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि अप्रार्थीगण ने इन वाहनो को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। जब्त सुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्त शुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 03 पारसनाथ आर्गेनिक्स प्रा0लि0 (विक्रेता) 73, ग्राम मिथिरोहर, गांधीधाम, कच्छ(गुजरात) की इनवाइस संख्या POPL/GUJ/21/79 दिनांक 17.3.2022 में कम्पोजिट सोल्वेन्ट (मिक्स सोलवेन्ट) HSN Code -38140010, की किंमत जो 62.500/–रूपये प्रति आइटम से कुल किंमत 23,59,375/– अंकित है। वाहन टेंकर संख्या टेंकर GJ-12-BW-7909 को **37750 KG** कम्पोजिट सोल्वेन्ट (मिक्स सोलवेन्ट), के जप्त किया गया है। जिसकी कुल कीमत अनुसार उक्त वाहन टेंकर GJ-12-BW-7909 पर रूपये 23,59,375/–शास्ति आरोपित की जाती है। चूंकि पिक–अप RJ-41-GA-0314 बोलेरो वाहन में वर वक्त जांच कोई सामग्री नहीं पाई गई, किन्तु इसका उपयोग उपरोक्तानुसार सॉल्वेन्ट परिवहन के अवैध कारोबार मे किया जाना प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा वाहन पिक–अप RJ-41-GA-0314 बोलेरो पर रूपये 30,000/– की शास्ति आरोपित की जाती है। जब्तशुदा सामग्री 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, तीन इलेक्ट्रिक मोटरें बीस फीट लम्बे पाईप के जुडावशुदा, एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन आदि का जिला रसद अधिकारी अजमेर सम्बन्धित आयल कम्पनी/रसद विभाग के निर्देशानुसार नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें ओर निस्तारण से प्राप्त राशि राज कोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्त शुदा वाहन टेंकर संख्या GJ-12-BW-7909 तथा पिक–अप RJ-41-GA-0314 बोलेरो वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मूल 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अन्तिम निस्तारण उक्त आदेशानुसार किया जा चुका है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 05 श्री राजेश सिंह पुत्र श्री बहादुर जी चौहान द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 12/22, जप्त पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314 मय माल कम्पोजिट सोल्वेन्ट (मिक्स सोलवेन्ट) 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) HSN Code -38140010, को सुपुर्दगी पर छोडे जाने का तथा श्री नैनाराम पुत्र भोमाराम निवासी पंछियों की ढाणी तहसील गुढामालानी, बाडमेर बहैसियत मुख्त्यारआम हमीर भीमभाई छईया निवासी 257 विवेकानन्द नगर वीरा अन्जार कच्छ द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र संख्या 13/22 टेंकर GJ-12-BW-7909 को सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा पारित इस अन्तिम आदेश के परिपेक्ष्य में उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों का कोई औचित्य नहीं रहने, सारहीन हो जाने कारण इसी स्तर पर इसी कदर से निस्तारित किये गए है। जिसमें उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 विधिक प्रावधानो के तहत बाद सुनवाई पारित किया गया है।

जिला कलेक्टर,
अजमेर

थानाधिकारी पुलिस थाना आदर्श थाना, अजमेर से टिप्पणी तलब की गई। प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया जिसमें अवगत कराया गया कि थाने पर दिनांक 22.03.2022 को श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, जिला रसद अधिकारी अजमेर ने उपस्थित थाना होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा वाहन समाग्री 1. ट्रक टेंकर रजिस्ट्रेशन नम्बर जीजे–12–बीडब्ल्यू–7909 मय कंपोजिट सॉल्वेंट सम्भावित मात्रा कुल 40,000 लीटर (37750 किग्रा) भरा हुआ हैं। 2 बोतलों में पैक भरा सॉल्वेंट पदार्थ–

1. 27 कार्टुन प्रत्येक में 35 बोतल सम्भावित कुल मात्रा 472.5 लीटर
2. 14 कार्टुन प्रत्येक में 14 बोतल सम्भावित कुल मात्रा 420 लीटर
3. 18 कार्टुन प्रत्येक में 6 बोतल सम्भावित कुल मात्रा 432 लीटर
4. 20 कार्टुन 6 बोतल सम्भावित कुल मात्रा 540 लीटर

कुल मात्रा– 1864.5 लीटर

3 बोलेरो पीकअप वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या आरजे 41 जीए 0314, 4 तीन इलेक्ट्रोनिक मोटर 5 माप 5 लीटर, 6 कीप प्लास्टिक की तीन, उक्त जप्त वाहन व सामग्री को दिनांक 22.03 2022 को थाना परिसर पर सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया था। ततपश्चात् उक्त जब्तशुदा कंपोजिट सॉल्वेट का एफएसएल करवाया जाकर एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त की जाकर थाना हाजा पर दिनांक 01.09.2022 को प्रकरण संख्या 385/2022 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जाकर आरोपी विजय कुमार पुत्र स्व. रामगोपाल जाति महाजन उम्र 42 साल निवासी म.न. 42 पलटन बाजार थाना सिविल लाईन अजमेर के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र संख्या 407/2022 दिनांक 22.10.2022 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में आदेश प्राप्त कर माननीय न्यायालय में दिनांक 17.11.2022 को चालान पेश किया गया। प्रकरण हाजा में जप्तशुदा माल का निस्तारण किया जाना शेष हैं होना अंकित किया हैं।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपने अभ्यावेदन में अंकित कथनों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी नेनाराम की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्रीमान् के समक्ष वाहन जीजे–12–बी डब्ल्यू 7909 को सुपुर्दगी नामा पर छुडवाने का आवेदन प्रस्तुत किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2022 को वाहन को 23,59,375 रूपये (अक्षरे रूपये तेईस लाख उनसठ हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) शास्ति कर सुपुर्दगीनामा पर छोडने के आदेश दिए थे। उक्त राशि अत्यधिक थी व प्रार्थी वाहन स्वामी का अपराध में किसी प्रकार का लिप्त ना होने से उक्त आदेश की अपील श्रीमान् सेशन न्यायालय अजमेर में की गई। उक्त अपील का निर्णय दिनांक 05.07.2022 को देते हुए उक्त प्रक्रम पर विद्वान न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि ना पाते हुए आरोपित प्रकरण में जांच लम्बित रहते व पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश ना करने तक अपील में कोई आदेश पारित ना करते हुए प्रार्थी की ओर से प्रार्थना स्वीकार की व पुलिस द्वारा बाद जांच चार्जशीट पेश होने व प्रार्थी के वाहन स्वामी के विरूद्व कोई आरोप या अपराध चार्जशीट में आरोपित नही होता है तो पुनः आवेदन श्रीमान् के समक्ष किया जा सकता है। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में चार्जशीट न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में पेश कर दी है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है जिसमें वाहन स्वामी को अभियुक्त नही बनाया है तथा वाहन के विरूद्व भी कोई आरोप नही लगाया है। प्रार्थी को उक्त चार्जशीट में गवाह संख्या 8 रखा गया है। माननीय सेशन न्यायालय अजमेर के आदेश दिनांक 05.07.2022 के परिपेक्ष के अनुसार चार्जशीट पेश होने पर यह आवेदन पुनः प्रस्तुत कर प्रार्थी वाहन मालिक का वाहन के द्वारा आरोप कारित करे का कोई आरोप नहीं है। पुलिस द्वारा पेश की गई चार्जशीट में प्रार्थी वाहन मालिक को गवाह (साक्षी) रखा है। प्रार्थी को मुल्जिम नहीं माना है। प्रार्थी का वाहन उसकी आजीविका का एक मात्र साधन है। उक्त

जिला कलक्टर,
अजमेर

वाहन पूर्व में कभी भी किसी आरोप में जब्त नहीं हुआ। चार्जशीट पेश होने के बाद न्यायहित में प्रार्थी के वाहन को सुपुर्दगीनामा पर कम राशि के साथ छोडा जाना अति आवश्यक है। जब वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में लिप्त नही है तो उस पर शास्ति राशि जो तेईस लाख रूपये से अधिक आंकी गई है उस पर न्यायहित में पुनः विचार कर कम राशि पर वाहन सुपुर्दगीनामा पर छोडा जाकर अति आवश्यक है। प्रार्थी के वाहन के पुलिस के पास अनावश्यक रूप से पडे रहने से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति उठानी पडेगी।

हमने अभ्यावेदन प्रस्तुतकर्त्ता की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। दूरभाष पर प्राप्त अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय एवं भण्डारण की शिकायत पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशानुसार गठित जांच दल द्वारा मोके पर पहुंच कर जांच की गई। जांच में अप्रार्थीगण द्वारा बिना वैध दस्तावेज, लाईसेन्स, सक्षम अनुज्ञापन, अनुमति के सॉल्वेन्ट पदार्थ की अवैध खरीद, बिक्री एवं भण्डारण किया जाकर सॉल्वेन्ट के अवैध कारोबार में लिप्त होना प्रमाणित पाया गया। प्रार्थी का यह कृत्य Solvent [Raffinate and slop (Acquisition. Sale. Storage, and Prevention of use in Automatiles) Order 2000. पेट्रोलियम नियम 2002 के क्लॉज 144 एवं अन्य क्लॉज का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सख्या 01 (श्री विजय कुमार) की फर्म से 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) मय टेंकर GJ-12-BW-7909, प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलो में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, एक पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314. बीस फीट लम्बे पाईप के जुडी हुई तीन इलेक्ट्रिक मोटरें, एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन आदि सामग्री की जब्ती कार्यवाही की गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के नही किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। जिला रसद अधिकारी द्वारा गठित जांच दल, पुलिस जाब्ता को वरवक्त जांच मौके पर सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ का अनाधिकृत रूप से भण्डारण एवं व्यवसाय किया जाना पाया गया है। फर्द मौका एवं जब्ती, नजरी नक्शा, सेम्पलिंग फर्द संख्या–1,2, बयान मौका, फर्द बयान, एवं मौके पर 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) मय टेंकर GJ-12-BW-7909, प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, एक पिकअप वाहन RJ-41-GA-0314 तीन इलेक्ट्रिक मोटरें बीस फीट लम्बे पाईप के जुडावशुदा, एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन आदि सामग्री के पाये जाने से भी अप्रार्थीगण के सोल्वेन्ट (तारपीन) के अवैध भण्डारण एवं कारोबार की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र संख्या 17/2021 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 40,000 लीटर (37750 कि0ग्रा0) कम्पोजिंट सोल्वेंट (मिक्स सॉलवेन्ट) प्लास्टिक की आधा लीटर, एक लीटर, चार लीटर साढे चार लीटर की बोतलों में पैंक सोल्वेन्ट (तारपीन) पदार्थ 1864.5 लीटर, तीन इलेक्ट्रिक मोटरें बीस फीट लम्बे पाईप के जुडावशुदा एक माप–पॉच लीटर, प्लास्टिक कीप तीन आदि सामग्री को राजसात किये जाने का आदेश दिनांक 25.05.2022 को किया गया है। **इस न्यायालय को कब्जे राज ली गई आवश्यक वस्तु (Essential Commidity) तथा उसके दुरूपयोग हेतु वहन किये जाने वाले वाहन के निस्तारण के अधिकार प्राप्त है।** चूंकि वाहन टेंकर संख्या GJ-12-BW-7909 को 40000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ/सोल्वेन्ट, सहित जप्त किया गया है। उक्त वाहनों का उपयोग उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य के परिवहन हेतु किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश अजमेर के निर्णय दिनांक 05.07.2022 की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उक्त वाहनो को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया है। माननीय सेशन न्यायाधीश अजमेर के आदेश दिनांक 05.07.2022 में रसद प्रार्थना पत्र संख्या

जिला कलक्टर,
अजमेर

17/2021 (सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र संख्या 12/2022 तथा 13/2022) राजस्थान सरकार जरिये श्री अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर बनाम विजय कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 को सम्पुष्ट किया गया हैं। जब्तशुदा वाहन को राजसात करने के आदेश से पूर्व आवश्यक वस्तु अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के मध्यनजर जब्तशुदा वाहन द्वारा परिवहन की जा रही सामग्री के बाजार मूल्य तक की समान राशि जमा कराने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। वाहन टेंकर संख्या टेंकर GJ-12-BW-7909 को **37750 KG** कम्पोजिट सोल्वेन्ट (मिक्स सोलवेन्ट), के जप्त किया गया है। जिसकी कुल कीमत अनुसार उक्त वाहन टेंकर GJ-12-BW-7909 पर रूपये 23,59,375/-शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर जब्त शुदा वाहन टेंकर संख्या GJ-12-BW-7909 वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद दस्तावेज जांच के सम्बन्धित को सुपुर्द करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(डॉ0 भारती दीक्षित)**
**जिला कलक्टर, अजमेर**